रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 1975/आषाढ़ 5, 1897

No. 213] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1975/ASADHA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June 1975

S.O. 279 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, *namely*:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and tenth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule, for entry 9, the following entry shall be substituted, namely:—

"9. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya): [with a Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag)].";

3. In the Second Schedule to the said rules, under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)"—

(a) entries 23, 23A and 25 shall be omitted;

(b) after entry 125, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE (RAJBHASHA VIBHAG)

1. Implementation of the provisions of the Constitution relating to Official Language and the provisions of the Official Languages Act, 1963, except to the extent such implementation has been assigned to any other Department.
2. Prior approval of the President for authorising the limited use of a language other than English in the proceedings in the High Court of a State.
3. All matters relating to the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union.
4. Coordination of the work relating to Official Language being done by the various Ministries/Departments in the context of the provisions of the Constitution, the Presidential Order of 27th April, 1960, the Official Languages Act, 1963 and the Government Resolution on Language dated 18th January, 1968.
5. Hindi Teaching Scheme for the Central Government Employees.
6. Matters relating to Kendriya Hindi Samiti.
7. Coordination of work relating to the Hindi Salahakar Samitis set up by the various Ministries/Departments.
8. Matters relating to the Central Translation Bureau."

F. A. AHMED,
President.

[No. 74/2/1/75-CF]

J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रि मंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1975

का॰ आ॰ 279 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ दसवां संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात् :—

"9. गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग सहित)";

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में, "गृह मंत्रालय" शीर्षक के नीचे,—

(क) प्रविष्टि 23, 23क और 25 का लोप किया जायगा

(ख) प्रविष्टि 125 के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"राजभाषा विभाग

1. संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन, वहां तक के सिवाय जहां तक इस प्रकार का कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंप दिया गया है।

2. राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

3. संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले।

4. संविधान, राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश, राजभाषा अधिनियम 1963 और भाषा के बारे में सरकार के 18 जनवरी, 1968 के संकल्प के उपबन्धों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए जा रहे राजभाषा से सम्बन्धित कार्य का समन्वय।

5. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण स्कीम।

6. केन्द्रीय हिन्दी समिति से संबंधित मामले।

7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

8. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले"।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।

सं० 74/2/1/75-सी०एफ०

जे० एस० मोंगिया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975